पत्र सूचना शाखा
(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0

उ0प्र0 रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2018 स्वीकृत

आगामी पांच वर्षों में 50 हजार करोड़ रु0 का निवेश एवं 2.5 लाख रोजगार का सृजन इस नीति का लक्ष्य

लखनऊ : 03 जुलाई, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2018 को स्वीकृति प्रदान की गई।

ज्ञातव्य है कि माह फरवरी, 2018 में आयोजित उत्तर प्रदेश इन्वेसर्टस समिट का शुभारम्भ करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर की स्थापना किये जाने की घोषणा की गई थी।

डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर में 50 हजार करोड़ रुपए का निवेश तथा रोजगार के 2.5 लाख नवीन अवसरों का सृजन सम्भावित है। प्रस्तावित कॉरीडोर अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर एवं लखनऊ से होकर गुजरेगा। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सस्ती भूमि के वृहद् पार्सल उपलब्ध हैं। कॉरीडोर के लिए, विशेष रूप से बुन्देलखण्ड क्षेत्र में उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज़ औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) द्वारा लगभग 3000 हेक्टेअर भूमि को चिन्हित कर क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

उ0प्र0 रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति की प्रमुख विशेषताओं के अन्तर्गत रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक, मेगा एवं एंकर इकाईयों को आकर्षित करना तथा प्लग व प्ले सुविधाओं से सुसज्जित निजी डिफेंस पार्कों के विकास को प्रोत्साहन देना शामिल है। साथ ही, डिफेंस कॉरीडोर में निवेश किए जाने हेतु विशेष प्रोत्साहन, पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड में निवेश प्रोत्साहन, औद्योगिक ईको सिस्टम को सुदृढ़ करना एवं अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी) व परीक्षण सुविधाओं का प्रोत्साहन भी इस नीति की प्रमुख विशेषताओं में सम्मिलित है।

इस नीति का लक्ष्य आगामी पांच वर्षों में 50 हजार करोड़ रुपए का निवेश एवं 2.5 लाख रोजगार का सृजन करना है।

परिभाषाएं

मेगा एंकर D&A इकाइयां– OEMs जो 1000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करें। रक्षा/गृह मंत्रालय/विदेशों में उनके समकक्ष अधिकृत संस्था/सिविल एयरोस्पेस निर्माता/आपूर्तिकर्ता अथवा एम0आर0ओ0 इकाई को अपने तैयार उत्पादों के मूल्य के न्यूनतम 25 प्रतिशत की आपूर्ति करता हो अथवा न्यूनतम 50 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादों की पूर्ति के आदेश हो।

एंकर D&A इकाइयां–

OEMs निवेश	पात्रता का मानदण्ड
बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल क्षेत्र	200 करोड़ रुपए से अधिक निवेश/न्यूनतम 1000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजन
मध्यांचल एवं पश्चिमांचल (गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद को छोड़कर)	300 करोड़ रुपए से अधिक निवेश/न्यूनतम 1500 प्रत्यक्ष रोजगार सृजन
गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद	400 करोड़ रुपए से अधिक निवेश/न्यूनतम 2000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजन

रक्षा/गृह मंत्रालय/विदेशों में उनके समकक्ष अधिकृत संस्था अथवा सिविल एयरोस्पेस निर्माता/आपूर्तिकर्ता अथवा एम0आर0ओ0 इकाई को अपने तैयार उत्पादों के मूल्य के न्यूनतम 25 प्रतिशत की आपूर्ति करता हो अथवा न्यूनतम 30 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादों की पूर्ति के आदेश हो अथवा विनिर्माण के परिणामस्वरूप टर्नओवर का न्यूनतम 50 प्रतिशत अंश मेगा एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई अथवा अन्य एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई।

वेण्डर D&A इकाइयां : उसी क्लस्टर में स्थित हों जिसमें एंकर यूनिट कार्यरत् हो एवं अपने अन्तिम उत्पाद का न्यूनतम 40 प्रतिशत एंकर इकाई को आपूर्ति करती हों।

एम.एस.एम.ई इकाइयां : भारत सरकार एम.एस.एम.ई. अधिनियम 2006 के अन्तर्गत एम.एस.एम. ई. निर्धारित। एम.एस.एम.ई. इकाई विनिर्माण के परिणामस्वरूप प्राप्त कारोबार का न्यूनतम 50 प्रतिशत अंश D&A मूल्य–श्रृंखला में मेगा एंकर D&A इकाई या एंकर D&A इकाई या वेण्डर D&A इकाई या रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई/ऑर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड के लिए आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्जित किया गया हो।

सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाइयां (डिफेन्स पब्लिक सेक्टर यूनिट्स)/ऑर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड : रक्षा मंत्रालय के अधीन केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम।

रक्षा तथा एयरोस्पेस (D&A) इकाइयों हेतु प्रोत्साहन

डिफेन्स कॉरीडोर में निवेश करने वाली इकाइयों हेतु– मेगा एंकर एवं एंकर D&A इकाइयों को डिफेन्स कॉरीडोर में भूमि की प्रचलित सर्किल दर अथवा क्रय मूल्य में से जो भी कम हो, की लागत के 25 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति। (राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में डिफेन्स कॉरीडोर हेतु अधिसूचित क्षेत्र में भूमि के क्रय करने पर ही प्रोत्साहन उपलब्ध कराये जाएंगे।)

परिवहन प्रभार पर छूट– मेगा एंकर एवं एंकर D&A इकाइयां हेतु

आयातित उपकरणों/प्लाण्ट मशीनरी को लॉजिस्टिक पार्क/ट्रान्सपोर्ट हब/हार्बर/पोर्ट से उत्पादन स्थल पर ले जाने पर	फिनिश्ड उत्पाद को प्रदेश में स्थित उत्पादन स्थल से लॉजिस्टिक पार्क/ट्रान्सपोर्ट हब, हार्बर/पोर्ट तक ले जाने पर
50 प्रतिशत परिवहन उपादान, अधिकतम सीमा दो करोड़ रुपए प्रतिवर्ष।	30 प्रतिशत परिवहन उपादान, अधिकतम सीमा एक करोड़ रुपए प्रतिवर्ष।

यह उपादान उन इकाइयों हेतु लागू होगी जिनकी परियोजनाओं का अनुबन्ध मूल्य 50 करोड़ रुपए से अधिक है, और उत्पादन प्रारम्भ के प्रथम वर्ष तक लागू।	यह उपादान उत्पादन प्रारम्भ के प्रथम वर्ष से 5 वर्ष की अवधि तक लागू।

अन्य प्रोत्साहन

- **प्रौद्योगिकी हस्तानान्तरण (टेक–ट्रांसफर) सब्सिडी–** मेगा एंकर एवं एंकर इकाइयों को प्रत्येक विक्रेता इकाई हेतु अधिकतम 50 लाख रुपए की सीमा तक प्रथम 5 विक्रेताओं को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की लागत की 75 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति तथा तत्पश्चात् 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति अगले 5 विक्रेताओं के लिए की जायेगी।

- **एफ्लूअन्ट ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट (ईटीपी) की स्थापना हेतु उपादान–** मेगा एंकर एवं एंकर D&A इकाइयां हेतु– ईटीपी की लागत का 20 प्रतिशत प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा 1 करोड़ रुपए।

- Defence PSUs/OFB में Common Testing तथा अनुसंधान सुविधाओं का उपयोग करने हेतु– D&A इकाइयों को ऐसी सुविधाओं का उपयोग करने हेतु भुगतान किए गए प्रभार/शुल्क के 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति प्रति इकाई प्रतिवर्ष अधिकतम 5 लाख रुपए तक की जाएगी, समस्त इकाइयों को देय प्रतिपूर्ति की वार्षिक अधिकतम सीमा 2 करोड़ रुपए होगी।

अन्य प्रोत्साहन

डिफेन्स कॉरीडोर के अधिसूचित क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास अथवा परीक्षण सुविधा की स्थापना हेतु– D&A इकाइयों द्वारा इस प्रकार की सुविधा की स्थापना हेतु लिये गये ऋण पर प्रतिवर्ष 50 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष हेतु ब्याज की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जिसकी प्रति इकाई अधिकतम सीमा 2 करोड़ रुपए होगी।

प्रोत्साहन	**प्रतिपूर्ति**	**सीमा**
पेटेंट शुल्क	घरेलू पेटेंट–100 प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रीय पेटेंट–50 प्रतिशत	अधिकतम सीमा 25 लाख रुपए प्रतिइकाई, वार्षिक अधिकतम सीमा 1 करोड़ रुपए होगी
गुणवत्ता प्रमाणन	प्रत्येक प्रमाणपत्र प्रमाणन शुल्क का 100 प्रतिशत	अधिकतम 2 लाख रुपए प्रति प्रमाणन। प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए प्रतिवर्ष
ट्रेडमार्क पंजीकरण	आवेदन शुल्क का 100 प्रतिशत	अधिकतम 1 लाख रुपए प्रति प्रमाणन। प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए प्रति वर्ष

D&A इकाइयों हेतु UP IIEPP प्रोत्साहन

(सन्दर्भ : उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोज़गार प्रोत्साहन नीति 2017 का भाग 5)

- **स्टैम्प ड्यूटी में छूट–**

बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल क्षेत्र–100%	मध्यान्चल एवं पश्चिमांचल (गौतमबुद्धनगर तथा गाजियाबाद को छोड़कर)–75 %	गौतमबुद्ध नगर तथा गाजियाबाद जनपद–50%

- **एस0जी0एस0टी0 प्रतिपूर्ति–**
    - एम.एस.एम.ई. इकाइयों को 7 वर्ष हेतु, 70 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति, वार्षिक अधिकतम सीमा पूंजी निवेश के 15 प्रतिशत
    - वृहद इकाइयों (पूंजी निवेश 5 करोड़ रुपए से अधिक तथा विभिन्न श्रेणियों की मेगा निवेश से कम) को 10 वर्ष हेतु, 70 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति, वार्षिक अधिकतम सीमा पूंजी निवेश के 10 प्रतिशत
    - मेगा इकाइयों को बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल क्षेत्रों में 20 वर्ष, मध्यांचल क्षेत्र में 15 वर्ष तथा पश्चिमांचल क्षेत्र में 12 वर्ष हेतु, 70 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति, वार्षिक अधिकतम सीमा पूंजी निवेश के 15 प्रतिशत
- **पूँजीगत ब्याज उपादान–** @5%, 5 वर्षों हेतु, अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष, कुल अधिकतम सीमा 20 करोड़ रुपए प्रति यूनिट
- **अवस्थापना ब्याज उपादान–** @5%, 5 वर्षों हेतु, अधिकतम सीमा 2 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष, कुल अधिकतम सीमा 10 करोड़ प्रति यूनिट
- **औद्योगिक अनुसंधान उपादान–** @5%, 5 वर्षों हेतु, कुल अधिकतम सीमा 1 करोड़ रुपए प्रति यूनिट
- **इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट–** नई लॉजिस्टिक्स इकाइयों को 10 वर्ष की अवधि हेतु 100 प्रतिशत छूट

निजी रक्षा तथा एयरोस्पेस पार्क

इन पार्को में विनिर्माण क्षेत्र (कम्पोनेण्ट्स, सब–कम्पोनेण्ट्स, सब–एसम्बेलीस, एयरोस्पेस पार्ट्स) एवं विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (एस.ई.जेड.), परीक्षण केन्द्र, हार्डवेयर/एम्बेडेड प्रौद्योगिकी केन्द्र, प्रौद्योगिकी नवाचार केन्द्र, हाउसिंग एण्ड कॉमन सुविधा केन्द्र जैसी सुविधाएं होंगी। इन पार्को में 'प्लग–एंड–प्ले' औद्योगिक बुनियादी ढांचा प्रदान करने की सुविधा होगी।

इस हेतु उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में निजी रक्षा तथा एयरोस्पेस पार्कों को निजी औद्योगिक पार्कों के समान सुविधाएं प्रदान करेगी। (सन्दर्भ : उ.प्र. औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 का अनुच्छेद 3.2.3)

निजी रक्षा तथा एयरोस्पेस पार्क हेतु प्रोत्साहन

(सन्दर्भ : उ.प्र. औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 का अनुच्छेद 3.2.3)

- **ब्याज सब्सिडी (प्रतिपूर्ति)–**
    - भूमि क्रय करने हेतु लिए गए ऋण हेतु – @50 प्रतिशत प्रतिवर्ष, 7 वर्षों के लिए, अधिकतम 50 लाख रुपए प्रतिवर्ष तक प्रति पार्क
    - **पार्क में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु लिए गए ऋण हेतु–** @60 प्रतिशत प्रतिवर्ष, 7 वर्षों के लिए, अधिकतम 10 करोड़ रुपए प्रति वर्ष प्रति पार्क
    - **पार्क में कॉमन प्रौद्योगिकी, नव प्रर्वतन केन्द्र, प्रशिक्षण केन्द्रों के निर्माण हेतु लिए गए ऋण हेतु–** @60 प्रतिशत प्रतिवर्ष, 7 वर्षों के लिए, अधिकतम 5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष जिसकी कुल अधिकतम सीमा 30 करोड़ रुपए प्रति पार्क
- **स्टाम्प ड्यूटी पर छूट/प्रतिपूर्ति**
    - विकासकर्ता को 100 प्रतिशत की दर से
    - पार्क में स्थापित प्रत्येक प्रथम इकाई को 50 प्रतिशत की छूट

रक्षा तथा एयरोस्पेस (D&A) इकाइयों हेतु प्रोत्साहन

केस–टू–केस प्रोत्साहन– मेगा एकंर इकाई– न्यूनतम 1000 करोड़ रुपए की स्थाई पूंजी

डी.पी.एस.यू./ऑर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड को रियायती दर पर पट्टे पर भूमि भी उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रोत्साहनों की समग्र अधिकतम सीमा– D&A इकाइयों हेतु पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में किए गए स्थाई पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत, मध्यांचल एवं पश्चिमांचल (गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद जनपद छोड़कर) क्षेत्र में किए गए स्थाई पूंजी निवेश के 90 प्रतिशत तथा गौतमबुद्ध एवं गाजियाबाद जनपदों में किए गए स्थाई पूंजी निवेश के 80 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अधीन होंगे एवं जिनकी प्रतिवर्ष अधिकतम सीमा कुल स्थाई पूंजी निवेश की 15 प्रतिशत अधिकतम 10 वर्षों हेतु होगी।

- समस्त प्रोत्साहन नयी रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयों के साथ–साथ विस्तारीकरण/विविधीकरण करने वाली परियोजनाओं को भी अनुमन्य होंगे, जो कि नयी रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयों की भांति निवेश मानदण्डों को पूर्ण

करती हों। विस्तारीकरण/विविधीकरण का तात्पर्य जहाँ वर्तमान औद्योगिक उपक्रम नये पूँजी निवेश द्वारा अपने ग्रॉस ब्लाक में न्यूनतम 25 प्रतिशत वृद्धि करता हो।

- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा इस नीति के अन्तर्गत जिन रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयों को पात्र पाया जाता है, केवल उन्हीं इकाइयों को इस नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे।

उ0प्र0 रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2018 में स्वीकृतियां प्रदान करने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। इस नीति के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति, छूट आदि के रूप में दिए जाने वाले समस्त इन्सेटिव भुगतान एक स्वीकृति–पत्र एवं एक लेखा शीर्षक के माध्यम से नोडल एजेंसी द्वारा किए जाएंगे।

किसी भी अन्य नीति अथवा राज्य एवं केन्द्र सरकार के विभागों द्वारा स्वीकृत प्रोत्साहनों से लाभ प्राप्त करने वाली रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयां भी इस नीति में उल्लिखित प्रोत्साहनों/लाभों की पात्र होंगी, बशर्ते समान प्रकार के लाभ/प्रोत्साहनों का लाभ अन्य किसी नीति से प्राप्त नहीं किया जा रहा हो।

———————